"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगरपालिक निगम राजनांदगांव जिला–राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	03	मोतीपुर वार्ड
		07	महात्मा गांधी वार्ड
		12	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		39	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	04	पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी वार्ड (ढाबा)
		13	डॉ.भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	21	रेवाडी वार्ड
		02	महात्मा बुद्ध वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	44	कोरिनभाठा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	23	गुरू गोविन्द सिंह वार्ड
		43	सर्किट हाउस वार्ड
		10	शंकरपुर वार्ड
		14	गौरीनगर वार्ड
		26	सुभाष वार्ड
		25	सूर्यमुखी वार्ड
		09	गजानन्द माधव मुक्तिबोध वार्ड
		35	सेठीनगर वार्ड
		47	मोहारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	34	लखाली वार्ड
		17	ठाकुर प्यारेलाल सिंह वार्ड
		15	बलरामदास वार्ड
		01	बजरंगपुर वार्ड
7.	महिला वर्ग	40	झूलेलाल वार्ड
		45	रामकृष्ण वार्ड
		31	संजय वार्ड
		49	मोहड़ वार्ड
		27	तिलक वार्ड
		11	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		32	बैगापारा वार्ड
		33	कन्हारपुरी वार्ड
		28	विवेकानंद वार्ड
		41	दुर्गादेवी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–78/2014/18 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No.F-1-78/2014/18 the list of the Reservation of Wards for Municipal Corporation. Rajnandgaon distt. Rajnandgaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	03	MOTIPUR WARD
		07	MAHATMA GANDHI WARD
		12	RAJENDRA PRASAD WARD
		39	GURU GHASIDAS WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	04	PADUMLAL PUNNALAL BAKSHI WARD (DHABA)
		13	Dr. BHIMRAO AMBEDKAR WARD
3.	Scheduled Tribes	21	REWADIH WARD
		02	MAHATMA BUDDH WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	44	KAURINBHATA WARD
5.	Other Backward Class	23	GURU GOVIND SINGH WARD
		43	CIRCUIT HOUSE WARD
		10	SHANKARPUR WARD
		14	GAURINAGAR WARD
		26	SUBHASH WARD
		25	SURYAMUKHI WARD
		09	GARANAND MADHAV MUKTIBODH WARD
		35	SETHI NAGAR WARD
		47	MOHARA WARD
6.	Other Backward Class (Female)	34	LAKHOLI WARD
		17	THAKUR PYARELAL SINH WARD
		15	BALRAMDAS WARD
		01	BAJRANGPUR WARD
7.	Female	40	JHULELAL WARD
		45	RAMKRISHNA WARD
		31	SANJAY WARD
		49	MOHAD WARD
		27	TILAK WARD
		11	MAHARANI LAXMIBAI WARD
		32	BAIGAPARA WARD
		33	KANHARPURI WARD
		28	VIVEKANAND WARD
		41	DURGA DEVI WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18.–1 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ जिला– राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	इन्दिरा वार्ड
		05	इन्दिरा नगर वार्ड
		10	गणेष वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	नेहरू वार्ड
		09	अंबेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	21	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	07	बधियाटोला वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	राजेन्द्र वार्ड
		08	छिरपानी वार्ड
		17	पटेल वार्ड
		22	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	रेलवे अस्पताल वार्ड
		03	रेलवे स्कूल वार्ड
7.	महिला वर्ग	16	दन्तेष्वरी वार्ड
		12	नरसिंग वार्ड
		24	राधिका वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–78/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-78/2014/18-1 the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Dongargarh distt. Dongargarh is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	02	INDIRA WARD
		05	INDIRA NAGAR WARD
		10	GANESH WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	14	NEHARU WARD
		09	AMBEDKAR WARD
3.	Scheduled Tribes	21	PT. DINDAYAL UPADHYAY WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	07	BADHIATOLA WARD
5.	Other Backward Class	15	RAJENDRA WARD
		08	CHHIRPANI WARD
		17	PATEL WARD
		22	SHYAMA PRASAD MUKHARJI WARD
6.	Other Backward Class (Female)	04	RAILWAY HOSPITAL WARD
		03	RAILWAY SCHOOL WARD
7.	Female	16	DANTESHWARI WARD
		12	NARSING WARD
		24	RADHIKA NAGAR WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18.–2 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत डोंगरगांव जिला– राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	07	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	01	संत रविदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	जय प्रकाष नारायण वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		08	महात्मा गांधी वार्ड
		10	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	इंदिरा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	12	रानी दुर्गावती वार्ड
		13	स्वामी विवेकानंद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–78/2014/18 (3) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-78/2014/18-2 the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat Dongargaon distt. Dongargaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	07	Dr. BHIMRAO AMBEDKAR WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	01	SANT RAVIDAS WARD
3.	Scheduled Tribes	02	RANI LAXMI BAI WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	JAI PRAKASH NARAYAN WARD
5.	Other Backward Class	05	LAL BAHADUR SHASHTRI WARD
		08	MAHATMA GANDHI WARD
		10	MAULANA ABDUL KALAMA AZAD WARD
6.	Other Backward Class (Female)	04	INDIRA GANDHI WARD
7.	Female	12	RANI DURGAWATI WARD
		13	SWAMI VIVEKANAND WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18–3 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी जिला– राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	02	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	दन्तेष्वरी वार्ड
		06	फिरंतीन वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	महात्मागांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		11	लोकमान्य तिलक वार्ड
		03	डॉ. अंबेडकर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	सरदार पटेल वार्ड
7.	महिला वर्ग	07	शहीद भगतसिंह वार्ड
		09	रामधुरी वार्ड
		10	लालबहादुर शास्त्री वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–78/2014/18 (4) :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-78/2014/18-3 the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat Ambagarh Chowki distt. Rajnandgaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	02	GURU GHASIDAS WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	NIL
3.	Scheduled Tribes	04	DANTESHWARI WARD
		06	FIRANTEEN WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	MAHATMA GANDHI WARD
5.	Other Backward Class	08	RANI LAXMI BAI WARD
		11	LOKMANYA TILAK WARD
		03	Dr. AMBEDKAR WARD
6.	Other Backward Class (Female)	12	SARDAR PATEL WARD
7.	Female	07	SAHID BHAGAT SINGH WARD
		09	RAMDHURI WARD
		10	LALBAHADUR SHASHTRI WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18.–4 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत छुरिया जिला– राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	संत रविदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	जय बूढ़ादेव वार्ड
		14	पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	शहीद भगत सिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		11	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
		03	राजीव गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	06	अहमद भाई वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	कुलदीप सिंह वार्ड
		10	इंदिरा गांधी वार्ड
		07	गुरू गोविंद सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–78/2014/18 (5) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-78/2014/18-4 the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat Churiya distt. Rajnandgaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	01	SANT RAVIDAS WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	NIL
3.	Scheduled Tribes	15	JAI BUDHADEV WARD
		14	PT. SHYAMA PRASAD MUKHARJI WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	13	SAHID BHAGAT SINGH WARD
5.	Other Backward Class	05	RANI LAXMI BAI WRAD
		11	DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD
		03	RAJIV GANDHI WARD
6.	Other Backward Class (Female)	06	AHMAD BHAI WARD
7.	Female	02	KULDEEP SINH WARD
		10	INDIRA GANDHI WARD
		07	GURU GOVIND SINH WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18–5 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत छुईखदान जिला– राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	बाबा साहेब अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	महंत ऋतुपर्ण किशोर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	संजय गांधी वार्ड
		08	शहीद भगत सिंह वार्ड
		12	षिवाजी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	09	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	राजमाता मोहन कुंवरबाई वार्ड
		02	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		11	राजीव गांधी वार्ड
		15	महाराणा प्रताप वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–78/2014/18 (5) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-78/2014/18- 5. the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat Chhuikhadan distt. Rajnandgaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	13	BABA SAHEB AMBEDKAR WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	NIL	NIL
3.	Scheduled Tribes	03	MAHANT RITUPARN KISHOR WARD
4.	Scheduled Tribes (Female).	NIL	NIL
5.	Other Backward Class	07	SANJAY GANDHI WARD
		08	SAHID BHAGAT SINH WARD
		12	SHIWAJI WARD
6.	Other Backward Class (Female)	09	DR. RAJENDRA PRASAD WARD
7.	Female	01	RAJMATA MOHAN KUNWAR BAI WARD
		02	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD
		11	RAJIV GANDHI WARD
		15	MAHARANA PRATAP WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ–1–78/2014/18–6 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत गण्डई जिला– राजनांदगांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	गुरू घासीदास वार्ड
		09	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	डॉ. अंबेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	राजीव गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	12	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	महात्मा गांधी वार्ड
		06	कैलाष नगर वार्ड
		01	कबीर साहेब वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	स्वामी विवेकानंद वार्ड
7.	महिला वर्ग	07	मां गंगई देवी वार्ड
		13	शहीद भगत सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–78/2014/18 (7) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–78/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F-1-78/2014/18-6 the list of the Reservation of Wards for Nagar panchayat Gandai distt. Rajnandgaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	08	GURU GHASIDAS WARD
		09	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	15	DR. AMBEDKAR WARD
3.	Scheduled Tribes	11	RAJEEV GANDHI WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	12	PT. JAWAHARLAL NEHRU WARD
5.	Other Backward Class	03	MAHATMA GANDHI WARD
		06	KAILASH NAGAR WARD
		01	KABIR SAHEB WARD
6.	Other Backward Class (Female)	10	SWAMI VIVEKANAND WARD
7.	Female	07	MAA GANGAI DEVI WARD
		13	SAHID BHAGAT SINH WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.